राज भवन, भोपाल
RAJ BHAVAN, BHOPAL

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना

वि.क्र. एफ-1-1/18/रा.स./यू.ए.1/ 678 दिनांक 2 मई, 2018

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.), जो कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) के अंतर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नियुक्त समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपतिजी के द्वारा की जाना प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष होगा ।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी को व्यापक प्रशासनिक अनुभव होना चाहिये और उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उच्च कोटि की होनी चाहिये ।

अभ्यर्थी को अपने बेदाग केरियर व असंदिग्ध निष्ठा के समर्थन में आवेदन पत्र के साथ स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध ब्यूरो या अन्य किसी संस्थान में किसी भी स्तर पर कोई जांच अथवा आपराधिक प्रकरण संस्थित/प्रचलित/लंबित नहीं है।

वर्तमान में सेवारत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता/ कार्यालय प्रमुख का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है।

यदि पूर्व वर्षों में उपरोक्तानुसार कोई जांच की गई है तो ऐसे जांच प्रकरणों का विवरण एवं निष्कर्ष का भी स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थी को स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र में करना होगा ।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उनका आवेदन तथा विस्तृत जीवनवृत्त (2 प्रतियों में) उपरोक्त विवरण व प्रमाण-पत्र के साथ राज भवन की बेबसाइट "www.rajbhavanmp.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल - 462003 (म.प्र.) को <u>दिनांक 07 जून, 2018</u> तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से प्रस्तुत करें । लिफाफे पर स्पष्ट लिखा जावे कि ''बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के कुलपति पद के लिये आवेदन'' ।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । डाक में विलम्ब हेतु यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

2/5/2018

राज्यपाल के प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश

———

राज भवन, भोपाल
RAJ BHAVAN, BHOPAL

NOTICE INVITING APPICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL (M.P.)

Advt. No. F 1-1/18/G.S./U.A.1/ 678 Dated 2 May, 2018

It is proposed to appoint a Vice-Chancellor for the Barkatullah University, Bhopal (M.P.), established under the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), out of a panel to be recommended by a Committee, appointed in terms of section 13(2) of above mentioned Act.

The vice-chancellor shall hold office for a term of 04 years from the date on which he enters office.

As the Vice Chancellor is the Principal and Academic Officer of the University, he should have vast administrative experience and educational background of high standard.

In support of his unblemished career and undoubted integrity, the applicant should file a self attested certificate to the effect that no enquiry is instituted/ commenced/pending in Lokayukt Sangathan, Economic Offence Bureau or any other organization against him at any level.

Along with the application, in case the applicant is in service, he should file a certificate of his employer / head of the office to the effect that no departmentai enquiry is pending against him.

In case of any enquiry conducted as above in earlier years, details of such cases and final conclusion of the enquiry shall have also to be clearly mentioned by the applicant in the self attested certificate.

The aspirant for the post of Vice-Chancellor may send his application, alongwith bio-data (in two copies) and certificate, in the prescribed format available on the website "www.rajbhavanmp.in" to the Principal Secretary, Governor Secretariat, Rajbhavan, Bhopal- 462003 (M.P.) on or before 07th June, 2018 by registered/Speed post. "Application for the post of Vice-Chancellor, Barkatullah University, Bhopal (M.P.)" should be super-scribed on the envelope.

Application received after the prescribed date shall not be considered. This office shall not be responsible for postal delay.

2/5/2018

Principal Secretary to Governor
Madhya Pradesh